न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 25/2017 (अपील)

घनश्याम आत्मज श्री मन्नालाल जाति मीना निवासी ग्राम हेमलखेडी तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

——अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 28.11.2017 मि0नं0 198/2017 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–07.01.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम हेमलखेडी की भूमि खसरा नम्बर 175 की 0.32 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 198/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 100/– रूपये का शास्ति एवं तीन माह (90 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 31.01.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम हेमलखेडी आराजी खसरा नं0 175 की रकबा 0.32 हे0 पर सम्वत 2074 खरीब में कब्जा कर फसल करने की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश कर लगान का 50 गुना 100/– रू. तावान तथा तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं है अपीलान्ट 55 वर्षीय बीमार व्यक्ति है जो आये दिन बिमार रहता है जो कोई कार्य नहीं कर सकता है तथा दुसरों के सहारे पर जीवन यापन कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर पूर्व में भूमि से बेदखल करने बाबत कोई दखलनामा या निर्णय पत्रावली पर है फिर भी सिविल कारावास का आदेश देने में त्रुटि की है । आदेश एक पक्षीय दिनांक 28.11.2017 की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम मर संक्रान्ती पर वारन्ट की पालना में गांव में तलाश करने आने पर पता चला जिस पर दिनांक 15.1.2018 को नकल प्राप्त की गई इस प्रकार प्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की आकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं है अपीलान्ट 55 वर्षीय बीमार व्यक्ति है जो आये दिन बिमार रहता है जो कोई कार्य नहीं कर सकता है तथा दुसरों के सहारे पर जीवन यापन कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व में भूमि से बेदखल करने बाबत कोई दखलनामा या निर्णय पत्रावली पर है फिर भी सिविल कारावास का आदेश देने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 31.01.2018 को पेश की गई, अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि घनश्याम पुत्र मन्नालाल जाति मीना , निवासी ग्राम हेमलखेडी *तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम* हेमलहेडी *की* चारागाह भूमि खसरा नम्बर 175 रकवा 0.32 हैक्टेयर चारागाह में अनाधिकृत कब्जा कर फसल काश्त की हुई है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली के आदेश करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी नहीं किया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

की पत्रावली पर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है जो बाद तामिल पत्रावली में मौजूद है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी ख0नं0 175 रकबा 0.32 हे0 किस्म चारागाह से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा की जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner